

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठारसीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या - 23/2025
दायर दिनांक - 20.01.2025

उनवान

1. कृष्णगोपाल पिता रामदत्त ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. चांददेवी पतिन तेजपाल ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. चान्दमल पिता रामदत्त ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. दिनेश कुमार पिता तेजपाल ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. प्रदीप पिता रामदत्त ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. प्रेमदेवी पिता रामदत्त ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. पहलाद पिता रामदत्त ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. सत्यप्रकाश पिता तेजपाल ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

—(प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्रीकिशन पिता सोहनलाल ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. प्रेमनारायण पिता सोहनलाल ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. परमेश्वर पिता सोहनलाल ब्राहमण नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. गंगाराम पिता गोकल बैरवा नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. मोहन पिता लादु बैरवा नि. कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

—(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता— श्री योगेश आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 24.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 594 के आ.न. 3425, 3426 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 594 के आ.न. 3425, 3426 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नही की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला भीलवाडा